दिनांक 24.12.08 को फरियादी शैलेष जैन पिता मानमल जैन (सोयाबीन व्यापारी) बडनगर बैंक से तीन लाख रू0 निकालकर व अपने साथी पारस जैन के डेढ लाख रू0 कुल साढे चार लाख रू0 लेकर अपने मुनीम के साथ सोयाबीन खरीदने बडी खरसौद जा रहे थे, कि सुन्दराबाद फाटे से कच्चे रास्ते से आगे मो0 सा0 पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा फरियादी की मो0सा0 गिराकर उसे कट्टा दिखाकर साढे चार लाख रू0 छिन कर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचाना में अपराध क्रमांक 362/08 धारा 394 भादवि कायम किया गया। पुलिस द्वारा घटना के मात्र 48 घंटे बाद ही अज्ञात बदमाशो का पता उठाया जाकर आरोपी उमेश यादव, व कादर गिर0 कर घटना में प्रयुक्त मो0 सा0 रिवाल्वर व लूटे गये 3,90,000/–रू0 बरामद किया गया।